न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—37 सन् 2023

राजेश कुमार.......................................वादी।

बनाम

बच्चा लाल शर्मा वगैरह..............................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 20.02.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 26 नियम 09 वो धारा—151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी एराजी पर स्थित पुराना मकान तोड़कर प्रतिवादी सं0 05 निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जिसके लिए निर्माण सामग्री ईट, बालू, गिट्टी वो सीमेंट स्थल पर जमा किए हैं तथा संरचना से युक्त चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का स्थानीय जांच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक हो गया हैं। अतः निवेदन है कि वादी का उक्त आवेदन स्वीकर कर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर जांच प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी एराजी पर स्थित पुराना मकान तोड़कर प्रतिवादी सं0 05 निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जिसके लिए निर्माण सामग्री ईट, बालू, गिट्टी वो सीमेंट स्थल पर जमा किए हैं तथा संरचना से युक्त चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 24.07.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अरविंद कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।